भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2554

(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

ई-न्यायनिर्णयन और ई-परामर्श प्लेटफॉर्म

2554. श्री राधेश्याम राठियाः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री भोजराज नागः
श्री पी. पी. चौधरी
श्री लुम्बाराम चौधरीः
डॉ. भोला सिंहः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट विवाद समाधान और इसके विनियामक अनुपालन को सुकर बनाने हेतु ई-न्यायनिर्णयन और ई-परामर्श प्लेटफॉर्म आरंभ किए हैं;
(ख) हाल ही में आरंभ किए गए ई-न्यायनिर्णयन और ई-परामर्श प्लेटफॉर्मों के उद्देश्यों और अपेक्षित लाभों का ब्यौरा क्या है;
(ग) ई-न्यायनिर्णयन प्रणाली को पारदर्शिता, सुलभता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या उक्त प्लेटफॉर्मों को अपनाने में आने वाली समस्याओं की सूचना देने के लिए हितधारकों हेतु कोई फीडबैक प्रणाली स्थापित की गई है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) इन प्लेटफॉर्मों को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है और इनके विस्तार अथवा सुधार हेतु क्या कोई भावी योजना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किए गए अपराधों से संबंधित मामलों के त्वरित और पारदर्शी निर्णय के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित अधिनिर्णयन तंत्र स्थापित करने के लिए सितंबर 2024 में एमसीए21 के तहत ई-अधिनिर्णयन मॉड्यूल शुरू किया गया था। ई-परामर्श मॉड्यूल मई 2021 में एक संवादात्मक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च

किया गया था, जो किसी भी प्रस्तावित संशोधन/मसौदा कानूनों आदि पर सार्वजनिक परामर्श को सक्षम बनाता है।

(ग): एमसीए21 पोर्टल के जरिए प्रस्तुत सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों, सीईआरटी-इन विनियमों, आईएसओ 27001 और सूचना सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित स्थापित डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सुनिश्चित की जाती है। सिस्टम तक पहुंचने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए मल्टी-फेक्टर प्रमाणीकरण पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, डेटा की गोपनीयता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता के अभिमत से निजी जानकारी को सुरक्षित रखने जैसे उपाय लागू किए गए हैं।

(घ) और (ड़): हितधारक एमसीए21 पोर्टल पर प्रतिक्रिया प्रदान करने और सामना की गई चुनौतियों के बारे में शिकायतों, यदि कोई हो, की सूचना देने के लिए टिकट रेंज घट सकते हैं।

(च): ई-अधिनिर्णयन मॉड्यूल के शुभारंभ के बाद से, 700 से अधिक मामलों पर कार्रवाई की गई है और चूक करने वाले अधिकारियों से 4.39 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

*****